राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 41/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, जोन–तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स यादराम पुत्र उमराव मल,
बालना का बास, तह. बानसुर, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 93/आरवेट/एनआरडी/08–09 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–अष्टम्, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 4,28,938/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.08.2008 को वाहन संख्या HR–38–H/6025 को चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर परिवहनित माल राज्य के बाहर दिल्ली से असलाली के लिए था, परन्तु बिल्टियों के साथ बिल बोगस प्रतीत होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर कर योग्य माल कीमतन राशि रूपये 14,29,791/– का पाया गया। इस बाबत् वाहन चालक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(9) तहत् शास्ति राशि रूपये 4,28,938/– आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश

लगातार.....2

दिनांक 04.06.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप. राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि परिवहनित माल राज्य बाहर से राज्य बाहर के लिये था, एवं परिवहनित माल के साथ समस्त आवश्यक वांछित दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण पते अंकित थे, एवं माल के राज्य से बाहर जाने के दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए थे। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के ही शास्ति का आरोपण कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ मौजूद दस्तावेजों को संदेहास्पद मानकर शास्ति का आरोपण कर दिया, एवं किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित नही किया गया कि परिवहनित माल राज्य में कही उतारा गया हो या बेचा गया हो। मात्र संदेह के आधार पर शास्ति का आरोपण किया जाना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। वक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील सुनवाई प्रत्यर्थी व्यवहारी ने परिवहनित माल के राज्य बाहर जाने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी पर 76(9) की कार्यवाही कर शास्ति आरोपण की कार्यवाही करना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता हैं। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष